न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 84/2024 G.C.M.S. No. 2024/454 दर्ज दिनांक : 15.10.2024

अपीलार्थी:

1. अर्जुनसिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।

प्रत्यर्थिगण: **बनाम**

1. कल्याणसिंह पुत्र हरिसिंह फौत के विधिक वारिसान:—
   1.1 कृष्ण कंवर पत्नि कल्याणसिंह
   1.2 भूपेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
   1.3 विरेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
   1.4 हेमेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. कैलाशसिंह पुत्र हरिसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र हुकमसिंह, जातिगण राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।
4. मृतक प्रेमसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत के कायम मुकाम:—
   4.1 स्वर्णसिंह पुत्र प्रेमसिंह
5. सुखसिंह के कायम मुकाम वारिसान:—
   5/1 गजेन्द्रसिंह पुत्र सुखसिंह
   5/2 कुन्दन कंवर पुत्री सुखसिंह
   5/3 पवन कंवर पुत्री सुखसिंह
   5/4 मृतक बुधु कंवर पुत्री सुखसिंह पत्नि फतेहसिंह
      5/4/1 वर्षा कुंवर पुत्री बुधुकंवर नाबालिग जरिये पिता फतेहसिंह पुत्र रामसिंह राणावत, निवासी केसरसिंह गुड़ा, पाली।
      5/4/2 फतेहसिंह पुत्र रामसिंह राणावत, निवासी केसरसिंह गुड़ा, पाली।
6. मृतक सोहनसिंह पुत्र पीरदान के वारिसान:—
   6.1 जितेन्द्रसिंह पुत्र सोहनसिंह
   6.2 ईश्वरसिंह पुत्र सोहनसिंह
   6.3 श्यामकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि अनारसिंह, निवासी मुण्डारा, तहसील बाली व जिला पाली।
   6.4 डिम्पल कंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नि कालूसिंह, निवासी पादरू, जिला बाड़मेर।
7. मृतक नाथूसिंह पुत्र मंगलसिंह के कायम मुकाम:—
   7.1 मोहनकंवर पत्नि नाथूसिंह
   7.2 भंवरकंवर पुत्री नाथूसिहं
   7.3 सुरज कंवर पुत्री नाथूसिंह
   7.4 उमा कंवर पुत्री नाथूसिंह
   7.5 गुड्डु कंवर पुत्री नाथूसिंह
   7.6 कुसुम कंवर पुत्री नाथूसिंह
   7.7 पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

7.8 हिम्मतसिंह पुत्र नाथूसिंह
8. नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह
10. रणबहादुरसिंह पुत्र मोडसिंह
11. मृतक पदमसिंह पुत्र शंभूसिंह
  11.1 सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह
  11.2 प्रदीपसिंह पुत्र पदमसिंह
  11.3 सुरज कंवर पत्नि पदमसिंह
12. शम्भूसिंह पुत्र जवाहरसिंह, तमाम अकवाम जाति राजपूत, निवासीगण पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली। (रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 12 तक तर्क)
13. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 155/2007 बअनवान कल्याणसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2024</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 155/2007 बअनवान कल्याणसिंह बनाम अर्जुनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है:–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 द्वारा जो वाद पेश किया गया था, यह वाद संक्षिप्त तथ्य में वर्णित तथा वाद में वर्णित खसरान के बाबत् पेश किया गया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में जो बंटवाड़े की निर्णय की डिक्री पारित की गई है, यह खसरा नम्बर 321, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351 बाबत् पारित की गई है तथा अन्य दो खसरान जो खसरा नम्बर 271, 317, 324 से 340, 236, 237 व 322 से 340 तक के खसरान की कृषि भूमि के बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गई हैं तथा उक्त खसरान को प्राथमिक निर्णय व डिक्री में शामिल रखा गया है। जबकि पक्षकारान सभी प्रतिवादी के रूप में दर्ज थें व अनुतोष भी इसी अनुसार था तो प्राथमिक डिक्री तमाम खसरान की पारित की जानी चाहिये थीं, जो न कर विधि व तथ्य की भूल की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 3.4 बुधुकंवर का तथा प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्णसिंह की मृत्यु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हो चुकी थी व प्रतिवादी संख्या 9 पदमसिंह की मृत्यु हो चुकी थीं। परन्तु इनके कायम मुकाम वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लाया गया व मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई, इस निर्णय व डिक्री में विधिनुसार विभाजन के जो प्रावधान है वो प्राथमिक डिक्री के आधार पर पारित किये जाने चाहिये थें तथा प्राथमिक डिक्री के आधार पर तमाम खसरान में जो कृषि भूमि जिस रूप की हैं, उसका उसी के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिये थीं, परन्तु नहीं की गई, इस कारण से प्राथमिक डिक्री निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को वाद चलने की जानकारी नहीं थीं तथा अपीलाण्ट की विधिवत तामिल भी नही हुई, न ही अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में कभी उपस्थित हुआ, इस कारण अपीलाण्ट को प्रकरण चलने की जानकारी भी नहीं थीं। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जवाब प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया व अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में दस्तावेजात रेकर्ड पर आये बगैर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात भी कायम नहीं की गई व दस्तावेज भी प्रदर्शित नहीं किये गये तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलाण्ट को क्षति हुई है। इस कारण से निर्णय व डिक्री माफिक कानूनन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट में पक्षकारान को उपस्थित होने बाबत् सूचित दिनांक 28.08.2024 को जारी नहीं किया गया, न ही इस बाबत मौके पर बुलाया गया, न ही मौके पर जरीब डालकर बंटवाडा किया गया न ही पत्थरगढी की गई तथा न ही अलग–अलग हिस्सा दर्ज किया गया, न ही कलर भरा गया। न ही नियमों के अनुसार बंटवाडा किया गया, न ही नियमों की पालना की गई, इस कारण पालना रिपोर्ट फर्जी है व मौके पर तैयारसुदा नहीं हैं तथा तमाम प्रतिवादी को बंटवाडा करने हेतु नोटिस भी जारी नहीं किया गया, न ही तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा जो पालना रिपोर्ट तैयार की गई हैं, इस पालना रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 349 जो बेरा है, इस बेरे के आस–पास की तमाम खसरान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 344, 346, 347, 348 रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 के लिए रखी गई, उक्त भूमि बेरे के पास की हैं तथा इनके लिए सुविधाजनक है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 के लिए भूमि बहुत दूर खसरा नम्बर 344 अलग से रखी गई, जो असुविधाजनक है तथा उक्त भूमि मौके पर उपजाउ भी नहीं हैं तथा उपजाउ भूमि बेरे के आस–पास की हैं, जो रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं। इसके अलावा बेरे के आस–पास की भूमि को रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पास रखने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट बेरे के पास अपना मकान भी नहीं बना सकता है, न ही भूमि सुधार के लिए जिन्स रखने के लिए व कृषि औजार इत्यादि रखने व ट्रैक्टर इत्यादि रखने के लिए भूमि भी नहीं दी गई, जिससे कि अपीलाण्ट अपनी कृषि भूमि का उपयोग कर सके व बेरे पर रह सके। इसलिये जो बंटवाडा किया गया है व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं, वह विधिनुसार नहीं हैं व तहसीलदार द्वारा जो बंटवाड़ा की पालना रिपोर्ट तैयार की गई हैं व नक्शा बनाया गया है, इस पर किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस कारण से अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाडा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण में अपीलांट द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध भी न्यायालय हाजा में पृथक से अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा अंतिम डिक्री में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। तथा हस्तगत प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील को निस्तारित किए जाने का निवेदन किया है तथा पत्रावली पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अतः प्रकरण में अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजीनामा प्रस्तुत होने से हस्तगत प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner